## प्ररूप 3 पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) और पेटेंट नियम, 2003 धारा 8 के अधीन कथन और वचनबंध (धारा 8, नियम 12 देखें) मैं/हम..... 1. आवेदक (कों) का नाम घोषणा करता हूँ/करते हैं: (i) यह कि मैंने/ हमने उसी आविष्कार/मूलतः उसी आविष्कार के लिए भारत से बाहर आवेदन 2. संयुक्त आवेदक का और नहीं किया है नाम, पता या राष्ट्रीयता (ii) यह कि मैं/हम जिसने/जिन्होंने/ स्वयं ......एकमात्र रूप से/...... के साथ संयुक्त रूप से यह आवेदन तारीख ...... किया हैं जो उसी तात्विक रूप से उसी आविष्कार पर पेटेंट के लिए आवेदन दूसरे देशों, में जिनके विधिष्टियां निम्नलिखित हैं, किया गया है : आवेदन की प्रास्थिति प्रकाशन की तारीख अनुदान करने की तारीख आवेदन आवेदन देश की सं∘ का तारीख नाम (iii) यह कि आवेदन (आवेदनों) पर......को 3. समनुदेशिती का नाम

अधिकार समनुदेशित किया गया है/ हैं कि नियंत्रक द्वारा पेटेंट अनुदान करने की तारीख तक,

और पता

	मैं / हम नियंत्रक को लिखित रूप मे भारत के बाहर पेटेंट के लिए फाइल किए गए संगत
	आवेदनों के विवरणों की सूचना उनके फाइल किए जाने की तारीख से छह मास के भीतर देता
	रहूँगा/ देते रहेंगे।
	आज तारीख20
4. आवेदक या उसके	हस्ताक्षर
प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत	
पेटेंट अभिकर्ता द्वारा	
हस्ताक्षरित किया जाए	
5. उस प्रकृत व्यक्ति का	().
नाम जिसने हस्ताक्षर	
किए हैं।	
	सेवा में,
	पेटेंट नियंत्रक,
	पेटेंट कार्यालय,
	पता
टिप्पण- जो लागू न हो उसे काट दें;	